DN-7447748/15/443
16/4/15

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गौ0प्र0) विभाग

प. 13(51) कार्मिक/क–1/गो.प्र./2015 जयपुर, दिनांक: 9 APR 20

कार्यालय प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण
शासन सचिवालय, जयपुर
15 APR 2015
डायरी क्रमांक 3551

समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव/समस्त विभागाध्यक्ष
(जिला कलक्टरों सहित)

JS-2/DS-5
13-4-15

विषयः–जिला स्तरीय अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में जिला कलक्टर की भूमिका ।

महोदय,

इस विभाग के परिपत्र प.13(51)का./क–1/गो.प्र./2000 दिनांक 07.06.2000 द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रपत्र सम्बन्धित प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा लिखा जाकर जिला कलेक्टर को अपनी टिप्पणी अंकित करने हेतु प्रस्तुत किया जाये, तत्पश्चात जिला कलेक्टर द्वारा समीक्षक अधिकारी को भिजवाया जायेगा।

AS3,
15/4/15

लेकिन उक्त अधिकारियों के इस विभाग में प्राप्त वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदनों की जांच के पश्चात यह देखने में आया है कि अधिकारी अपना प्रतिवेदन उचित फार्म में भर कर प्रस्तुत नहीं करते है। इस प्रकिया की अनुपालना नहीं हो रही है।

अतः समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्षों से निवेदन है कि कृपया वे अपने विभाग से सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन प्रपत्र में सम्बन्धित जिला कलेक्टर की टिप्पणी अंकित करवाना सुनिश्चित करें। भविष्य में बिना जिला कलेक्टर की टिप्पणी के अंकन के वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन कार्मिक(क–1/गो.प्र.) विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगें।

भवदीय,

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–राजपत्रित/डीपीसी/एसीआर/2015/389 दिनांक 11-5-15

प्रतिलिपि निम्नांकित को पृष्ठांकित कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2), विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके परिपत्र दिनांक 19.11.2010 के अनुसरण में जिला स्तर पर पदस्थापित अधिकारियों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिवेदक अधिकारी – मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नियुक्त करने के संबंध में सूचनार्थ।
3. शासन सचिव कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र दिनांक 9.4.15 के क्रम में।
4. निदेशक (आई.ई.सी.)/(प.क.)/(एड्स) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक (ई.एस.आई.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. परियोजना निदेशक (एन.आर.एच.एम.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज एवं नियंत्रक सम्बद्ध चिकित्सालय समूह।
9. निदेशक भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–राजस्थान।
11. समस्त अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
12. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
13. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
14. समस्त खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
15. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने व समस्त संबंधित को ई–मेल किये जाने हेतु।
16. आदेश/रक्षित पत्रावली।

11/5/15

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान,जयपुर

(ADDLDIRGAZ@GMAIL.COM)